पत्र सं0-विधि-4(2)/ 2014-15/ 1108 /1415093-दिनांक 18-11-2014 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(विधि अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ :दिनांक :: नवम्बर 12, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पर लखनऊ व्यापार मंडल द्वारा एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि प्लास्टिक/पी0यू0 के सोल से बने जूते जिनका ऊपर का हिस्सा कपड़े से निर्मित है तथा जिनका अधिकतम् खुदरा मूल्य 300 से कम है , वैट अधिनियम की अनुसूची 1 प्रविष्टि क्रमांक 52 के अन्तर्गत करमुक्त है । व्यापारी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न कपड़ों से निर्मित जूतों के सैम्पुल भी प्रस्तुत किये गये । इस संबंध में बताया गया कि इन जूते एवं चप्पलों को सचल दल द्वारा रोक कर परेशान किया जा रहा है ।

उक्त संदर्भ में प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों तथा द्वारा प्रस्तुत किये गये विभिन्न कपड़ो से निर्मित जूतों के सैम्पुल के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इन जूतों का अपर विभिन्न प्रकार के कपड़े से निर्मित है । वैट अधिनियम की अनुसूची 1 प्रविष्टि क्रमांक 52 की प्रविष्टि निम्न प्रकार है :-

52." Footwear with maximum retail price of rupees three hundred or less excluding plastic footwear; hawai chappal and straps thereof."

उक्त प्रविष्टि के अवलोकन से स्पष्ट है कि रु0 300/- मूल्य के नीचे के फुटवियर की श्रेणी से केवल प्लास्टिक के फुटवियर, हवाई चप्पल एवं उसके स्ट्रेप्स को बाहर किया गया है । प्रस्तुत सैम्पुल के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इन जूतों का अपर कपड़े का बना है और नैकेड आई से देखने पर प्लास्टिक दृष्टिगत नहीं है ।अत: इस प्रकार के फुटवियर को प्लास्टिक फुटवियर की श्रेणी में मानना उचित नहीं है ।

उक्त संदर्भ में जोन के अधिकारियों को विधिक स्थिति से अवगत कराते हुए यह सुनिश्चित करें कि व्यापारियों का अनावश्यक उत्पीड़न न हो ।

अपने अधीनस्थ अधिकारियों से उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए ।

यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में प्रेषित है ।

भवदीया,
S. Tripathi
(साधना त्रिपाठी)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ